



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 972]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 2011/ज्येष्ठ 4, 1933

No. 972]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 2011/JYAISTHA 4, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 23 मई, 2011

New Delhi, the 23rd May, 2011

का.आ. 1171(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 सी (राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के कलामसेरी क्रासिंग के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-47 से आरम्भ होने वाला और केरल राज्य में वल्लारपदम पर समाप्त होने वाला राजमार्ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

S.O. 1171(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the National Highway No. 47C (the highway starting from NH-47 near Kalamassery, crossing NH-17 and terminating at Vallarpadam in the State of Kerala) to the National Highways Authority of India. ✓

[फा. सं. एनएच-14013/6/2011-पी एंड एम]

[F. No. NH-14013/6/2011-P&M]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.